**संख्या- 1/2025/15/दो-5-2025-35-5(09)/2022**

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

**नियुक्ति अनुभाग-5** लखनऊ:दिनांक: 02 जनवरी, 2025

**विषयः-** अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2024 (as on 01.01.2025) की **IPR's online submit किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ESTABLISHMENT OFFICER & ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के DO No. -6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 ***(प्रति संलग्न)*** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा SPARROW Module (online filing of IPR) के परिप्रेक्ष्य में **पूर्व निर्गत आदेशों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया है, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-**

"-------- The online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31th January, 2025 in respect of the calendar year 2024. The officers need not send a hard copy either to their details online on the IPR SPARROW Portal but are not able to eSign the filed IPR. Such IPRs remain unsubmitted, causing unnecessary difficulty to the concerned officers. Therefore, the IAS Officers may be suitably sensitized to complete the process by eSigning the IPR.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its various departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2024 (as on 01.01.2025) online in the IPR Module, within the prescribed **timeline i.e. from 1st January, 2025 to 31st January , 2025.** "

2- अवगत ही हैं कि ससमय IPR दाखिल किया जाना **MANDATORY है** तथा next level of pay matrix आदि में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उक्त निर्देश (पत्र दिनांक 19-12-2024) का संज्ञान लेते हुए **वर्ष 2024 (as on 01.01.2025) की IPR's online (By eSigning the IPR) निर्धारित समयावधि (31st January, 2025 तक) के अंदर अनिवार्य रूप से submit करने का कष्ट करें।**

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ESTABLISHMENT OFFICER & ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No. -6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव (समस्त) नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित समीक्षा अधिकारी (shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 15 /दो-5-2025-35-5(09)/2022

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

**नियुक्ति अनुभाग-5** लखनऊ:दिनांक: 02 जनवरी, 2025

**विषयः-** अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2024 (as on 01.01.2025) **की IPR's online submit किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ESTABLISHMENT OFFICER & ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 ***(प्रति संलग्न)*** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा SPARROW Module (online filing of IPR) के परिप्रेक्ष्य में **पूर्व निर्गत आदेशों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया है, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-**

"-------- The online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31th January, 2025 in respect of the calendar year 2024. The officers need not send a hard copy either to their details online on the IPR SPARROW Portal but are not able to eSign the filed IPR. Such IPRs remain unsubmitted, causing unnecessary difficulty to the concerned officers. Therefore, the IAS Officers may be suitably sensitized to complete the process by eSigning the IPR.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its various departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2024 (as on 01.01.2025) online in the IPR Module, within the prescribed **timeline i.e. from 1st January, 2025 to 31st January , 2025. "**

2- अवगत ही हैं कि ससमय IPR दाखिल किया जाना **MANDATORY है** तथा next level of pay matrix आदि में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उक्त निर्देश (पत्र दिनांक 19-12-2024) का संज्ञान लेते हुए **वर्ष 2024 (as on 01.01.2025) की IPR's online (By eSigning the IPR) निर्धारित समयावधि (31st January, 2025 तक) के अंदर अनिवार्य रूप से submit करने का कष्ट करें।**

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव

sampatti/ G.O.

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. ESTABLISHMENT OFFICER & ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव (समस्त) नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित समीक्षा अधिकारी (shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

No.4-2/62-IMG/2024


मनीषा सक्सेना, भा.प्र.से.
**Manisha Saxena, IAS**
स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव
**ESTABLISHMENT OFFICER & ADDITIONAL SECRETARY**
**Tel. : 23092370, Fax : 23093142**
**E-mail : eo@nic.in**


सत्यमेव जयते


भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–११०००१
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001


DO No. 6(2)/2024-EO(PR)
Dated, the 11th December, 2024

Respected Chief Secretary,

As you are aware, in terms of Rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968 and the instructions issued vide OMs dated 16.02.1960 and 04.01.1994 under this Rule, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required to submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of the next year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirements of the aforesaid provisions constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings, against them vide this Department's OM No.104/33/2005-AVD-I dated 29.10.2007 and 07.09.2011. Further, vide notification dated 30.12.2021, Rule 3(1) of IAS (Pay) Rules, 2016 has been amended to make timely filing of IPR mandatory for being considered for appointment to the next level of pay matrix.

This Department vide DO No.6(1)/2014-EO(PR) dated 22.12.2016 successfully introduced online filing of IPR in respect of IAS officers w.e.f. 1st January, 2017 through the SPARROW Module. It is indeed a matter of immense satisfaction that the officers are submitting their IPR either electronically or uploading scanned copy of the manually filled-in IPR, over the years.

This online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31st January, 2025 in respect of the calendar year 2024. The officers need not send a hard copy either to their Cadre or to DoPT. Further, it is noticed that there are some cases where the officers fill their details online on the IPR SPARROW Portal but are not able to eSign the filed IPR. Such IPRs remain unsubmitted, causing unnecessary difficulty to the concerned officers. Therefore, the IAS Officers may be suitably sensitized to complete the process by eSigning the IPR.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its various departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2024 (as on 01.01.2025) online in the IPR Module, within the prescribed timeline i.e. from 1st January, 2025 to 31st January, 2025.

With warm regards,

Yours Sincerely,

19.12.2024

(Manisha Saxena)

(Principal Chief Secretaries of the States
विशेष मुख्य सचिव
As per standard list)


सूचना का अधिकार